न्यायालय संभागीय आयुक्त,जयपुर।

अपील संख्याः 182/2015 (जीसीएमएस 2015/00147)

1. समयदीन खां पुत्र स्व. यासीन खां जाति मेव उम्र करीब 25 साल निवासी ग्राम चिरखाना तहसील व जिला अलवर, राजस्थान।

----अपीलांट

बनाम

1. उप तहसीलदार, उप तहसील कार्यालय बहादरपुर, तहसील व जिला अलवर राज.।

----असल रेस्पोडेन्ट

2. सरीयम पत्नी स्व. श्री यासीन खां जाति मेव,
3. जाकिर पुत्र स्व. श्री यासीन खां जाति मेव,
4. जरसीद पुत्र स्व. श्री यासीन खां जाति मेव,
6. रोशनी पुत्री स्व. श्री यासीन खां जाति मेव,
7. शबीला पुत्री स्व. श्री यासीन खां जाति मेव,
8. शबनम पुत्री स्व. श्री यासीन खां जाति मेव निवासीयान ग्राम चिरखाना तहसील व जिला अलवर राज.।

----तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 2508.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहादरपुर के अपीलाधीन आदेश दिनाँक 06.04.2015 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई।

अपीलान्ट व तरतबी रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने कथन किया है कि मिन अपीलांट द्वारा नायब तहसीलदार बहादरपुर के निर्णय दिनाँक 13.03.2013 बाबत् इंतकाल सं. 666 ग्राम चिरखाना अलवर के विरुद्ध पूर्व में न्यायालय जिला कलक्टर में अपील संख्या 11/24/13 प्रस्तुत की जिस अपील का निर्णय न्यायालय द्वारा दिनाँक 06.01.2014 को कर अपील अपीलांट स्वीकार कर इंतकाल संख्या 666 वाके ग्राम चिरखाना के संबंध में नायब तहसीलदार बहादरपुर द्वारा पारित आदेश 13.03.2013 व 24.01.2013 निरस्त कर दिये और अपील अपीलांट नायब तहसीलदार बहादरपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेंट को सुनवाई व साक्ष्य का मौका देकर निर्णय में दिये गये निर्देशानुसार जाँचकर इंतकाल संख्या 666 वाके ग्राम चिरखाना का पुनः निर्णय करें। जिस पर उप तहसीलदार बहादरपुर द्वारा पत्रावली का पुनः 06.04.2015 को निर्णय कर दिनाँक 13.03.2013 का निर्णय यथावत रख दिया है जो निर्णय विधि विरुद्ध पारित

P.T.O.

किया है, जो निर्णय विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने कथन किया है कि मिन अपीलांट व तरतीबी रेस्पोडेंट मृतक यासीन खां पुत्र शौकत खां के वारिसान है, जिनके हक में इंतकाल सं. 666 दिनाँक 24.11.2013 को तस्दीक हो चुका है तथा यासीन खां पुत्र शौकत की मृत्यु दिनाँक 06.05.2006 को ग्राम चिरखाना जिला अलवर में हो चुकी है, जिसे सुपदुर्द खाक ग्राम चिरखाना कब्रिस्तान में किया गया है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलांट व तरतीबी रेस्पोडेंट के पिता व पति की मृत्यु हो चुकी है तथा मृत्यु प्रमाण पत्र अपील हाजा के साथ संलग्न है जिनका मृत्यु उपरान्त विरासत इंतकाल दिनाँक 24.01.2013 को खोला गया तथा रेस्पोडेंट द्वारा बराय बदयान्ती मिन अपीलांट व तरतीबी रेस्पोडेंट के हक में खोले गये विरासत इंतकाल संख्या 666 को दिनाँक 13.03.2013 को बेजा लाभ प्राप्त करने की नियत से निरस्त कर दिया। उन्होने यह भी कथन किया कि रेस्पोडेंट द्वारा इंतकाल संख्या 666 दिनाँक 13.03.2013 को निरस्त करते हुये इस आशय का नोट अंकित किया था कि "आज नामान्तरकरण पुनः अवलोकन हेतु पेश हुआ, रिपोर्ट पटवारी हल्का कारोली के अनुसार यासीन पुत्र शौकत की मृत्यु पर संदेह होने के कारण नामन्तरकरण विरासत खारिज किया जाता हैं, राजस्व रिकॉर्ड में पुनः यासीन पुत्र शौकत के नाम का इन्द्राज रखा जावे इस आशय का नोट राजस्व रिकॉर्ड में किया जावें नवीन इन्द्राज निरस्त किया जाता हैं। यह काबिल गोर श्रीमान् है कि रेस्पोडेंट द्वारा यह दर्ज नहीं किया कि उन्हें या तो संदेह हुआ तथा संदेह की परिसीमा लिखित या मौखिक थी या किसी के द्वारा शिकायत की गई या वो व्यक्तिगत रुप से यासीन खां को जानते थे। इस सूरत में इंतकाल निरस्तीकरण बाबत् की गई कार्यवाही शून्य है जिस कारण से आदेश अपास्त किये जाने योग्य हैं तथा पुनः पूर्व आदेश बहाल रखे जाने योग्य हैं तथा तहसीलदार ने गलत आधार पर पटवारी हल्का कारोली की रिपोर्ट को आधार बनाया है क्योंकि पटवारी के गलत आधार पर रिपोर्ट तैयार की व जिन लोगों के हस्ताक्षर कराये थे उनके बताएं अनुसार तैयार नहीं की।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा अपील संख्या 11/24/13 की पत्रावली दिनाँक 06.01.2014 को निर्णय कर नायब तहसीलदार बहादरपुर द्वारा दिनाँक 06.04.2015 को विधि विरुद्ध तरीके से निर्णय दिनाँक 13.03.2013 यथावत रख पत्रावली का निर्णय कर दिया जो न्यायिक प्रक्रिया एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर उपरोक्त हालात पर गौर कर उप तहसीलदार बहादरपुर का निर्णय दिनाँक 06.04.2015 अपास्त किया जाकर इंतकाल संख्या 666 दिनाँक 24.01.2013 को पुनः बहाल किये जावें।

P.T.O.

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार यासीन पुत्र शौकत की मृत्यु होने पर खातेदार के वारिसान के नाम दिनांक 24.01.2013 को नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जिसे केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट कि ''खातेदार की मृत्यु पर संदेह है'' के आधार पर उसी उप तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण को दिनांक 13.03.2013 द्वारा निरस्त किया गया है जिसके विरूद्ध अपील न्यायालय जिला कलक्टर अलवर के समक्ष होने पर न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.01.2014 द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किया गया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहादुरपुर द्वारा प्रकरण में बिना विस्तृत जॉच के ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.04.2015 पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहादुरपुर जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.04.2015 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुऐ प्रकरण को गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।